स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

दिनांकः 12–11–2018

File No. SR/1/2018/STGMP/ATMURD/RU-III

<u>सिटिंग नोटिस</u>

विषयः– जमीन विवाद में दस लोगों द्वारा कथित रूप से मिट्टी का तेल डाल आग लगा कर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को मार डालने के सम्बन्ध में – श्रीमती सुहागरानी पति श्री नन्नूलाल सौर आदिवासी, निवासी साहगढ़, सिंचाई विभाग कॉलोनी, जिला सागर (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरणों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक <u>18–12–2018 को 12.00 बजे</u> सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तद्नुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय उपाध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखे कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

O/C 9330-32 13/11/18

जारी किया ISSUED

(आर. के. दुबे)
सहायक निदेशक
दूरभाष–24615012

सेवा में,

1. पुलिस महानिरीक्षक
जिला सागर,
(म.प्र.)

2. पुलिस अधीक्षक
जिला सागर,
(म.प्र.)

प्रतिलिपि प्रेषितः

श्रीमती सुहागरानी पति श्री नन्नूलाल सौर आदिवासी,
निवासी साहगढ़, सिंचाई विभाग कॉलोनी,
जिला सागर (म.प्र.)

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi -110003, website ::/ncst.nic.in
Tel. : 011-24657271, 011-24620638 Fax : 011-24624628, 011-24604689, Toll Free 1800117777